

उत्तराखण्ड शासन
 वित्त अनुभाग-8
 संख्या-४४५/२०१५/१४६(१२०)/XXVII(८)/२००८
 देहरादूनः दिनांक ०८ दिसम्बर, २०१५

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, दिनांक ०६-१२-२०१५ से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-III के क्रमांक ३ में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची-III के क्रमांक ३ पर विद्यमान प्रविष्टि के रथान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्—

क्र० सं०	माल का विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर की प्रतिशत
1	डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम 1939 के अधीन यथा परिभाषित है	विनिर्माता या आयातकर्ता	21 प्रतिशत या ₹९ प्रति ली० जो भी अधिक हो

(अमित सिंह नेगी)
 सचिव।

सं० ४४५/२०१५/१४६(१२०)/XXVII(८)/२००८ तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- १—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- २—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- ३—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ४—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- ५—एन०आई०सी०
- ६—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेडा)
 अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. / 2015/146(120)/ XXVII (8)/2008 dated December, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No 885/2015/ 146(120)/XXVII (8)/2008
Dehradun: Dated: 05 December, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to amend serial no. 3 of Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, with effect from 06-12-2015, as follows:-

Amendment

In Schedule- III, for the existing entry at serial No.3, the following entry shall be substituted; namely-

Sl. No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax percentage
1	Diesel as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	Manufacturer or Importer	21 percent or ₹9 per/ lit. which is greater

(Amit Singh Negi)
Secretary